न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 66/2012

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मूलचन्द पुत्र गंगाराम जाति सुथार निवासी करणवा तहसील बाली		1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत मिरगेश्वर, पंचायत समिति, बाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक:– 22/3/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 18/2009 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2012 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। ग्राम करणवा के खसरा नम्बर 21 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दौराने भू प्रबन्ध अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से 0.19 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज कर रास्ते में समाहित कर दी, जिसके प्रमाण स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेकर्ड, नक्शा, मिलान क्षैत्रफल आदि की प्रमाणित प्रतियां बतौर साक्ष्य प्रस्तुत की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट की भूमि में से 0.19 हैक्टेयर भूमि कम की जाकर ग्राम पंचायत के रास्ते की चौडाई बढाने हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी में से काट दी गई है। उक्त भूमि के पास सेटलमेन्ट पूर्व से भी रास्ता था तथा सेटलमेन्ट के पश्चात भी रास्ता था, जिसे अपीलाण्ट द्वारा घटाया बढाया नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जो नक्शा बनाया गया, उसमें रास्ते में अपीलाण्ट की सीमा बताते हुए 0.19 हैक्टैयर भूमि को रास्ते में मिलाने का निर्णय लिया गया, जो विधि विरूद्ध है। अब अपीलाण्ट को रास्ते की भूमि का अतिक्रमी बताते हुए विधि विरूद्ध कार्यवाहीयां की जा रही है, जबकि अपीलाण्ट रास्ते की भूमि पर काबिज न होकर अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है। इन समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय को अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। यदि अपीलाण्ट उक्त भूमि पर किसी भी रूप में काबिज है, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावलनी पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम करणवा के गत खसरा नम्बर 21 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 49/129, 51, 52, 53, 75, 76, 77, 54/1, 74/1 बने है, जिनका कुल क्षेत्रफल 4.43 हैक्टेयर होता है। उक्त भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि होना बताया तथा गत खसरा नम्बर 21 के हाल खसरा नम्बर 74/1 व 54/1 की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी से कम किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में गै.मु. गोवा दर्ज किया गया, जिसकी पुनः खातेदारी घोषित कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र के जरिये यह अनुतोष चाहा गया कि जैर अपील वादस्थ भूमि से अपीलाण्ट को बेदखल नहीं किया जावे तथा न ही अपीलाण्ट के कब्जे में रेस्पोडेन्ट्स दखल अन्दाजी कारित करें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये, उन समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् का अवलोकन करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में न होकर रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में प्रबल होने के कारण जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि जैर अपील वादस्थ भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में राजकीय भूमि के तौर पर दर्ज है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किये गये है तथा जो अनुतोष चाहा गया है, वह मूल वाद में तनकीयात कायम होकर, उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर विनिश्चित तनकीयात पर आधारित निर्णय से ही संभव होगा, किन्तु वर्तमान में अपीलाण्ट भूमि के खातेदार दर्ज नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

होने तथा खातेदार को अस्थाई निर्णय से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं होने के कारण जैर अपील आदेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 18/2009 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2012 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली